the impugned order and also affix necessary court fee stamps on the grounds of appeal and other attached documents. After this was done these appeals were listed up for hearing before Lt. Governor on 3rd February, 1978, who, after hearing the arguments of the parties, adjourned these cases for further hearing on 12th May, 1978.

Three Language Formula

5243. SHRI R. KOLANTHAIVELU:
SHRI P. KANNAN:
SHRI K. MAYATHEVAR:
SHRI S. D. SOMASUNDARAM:
SHRI C. N. VISVANATHAN:
SHRI RAGAVALU MOHANARANGAM:

Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether the States of Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh which are using Hindi as official language in their State have adopted the three language formula or not;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) if they have adopted three language formula, what are the languages; and

(d) whether any State has adopted Southern languages ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRIMATI RENUKA DEVI BARKATAKI): (a) to (d) A statement is attached.

Statement

State	Languages adopted	Whether Three Language Formula is being implemented or not
(1)	(2)	(3)
Bihar	(*i*) Mother tongue	Yes, with modifications
	(*ii*) Sanskrit (for Hindi speaking) or Hindi (for non-Hindi-speaking)	
	(*iii*) English	
Haryana . . .	(*i*) Hindi	Yes
	(*ii*) English	
	(*iii*) Sanskrit or Urdu or Punjabi or Telugu	
Himachal Pradesh . .	(*i*) Hindi	Yes
	(*ii*) English	
	(*iii*) Urdu	
Madhya Pradesh . .	(*i*) Mother tongue	Yes, with modifications
	(*ii*) (a) Hindi (non-Hindi-speaking)	
	(b) Sanskrit (Hindi-speaking)	
	(*iii*) English	

(1)	(2)	(3)
Rajasthan . . .	(*i*) Hindi	Yes
	(*ii*) English	
	(*iii*) Sanskrit or Urdu or Sindhi or Gujarati or Punjabi or Malayalam or Tamil or Bengali.	
Uttar Pradesh . . .	(*i*) Hindi	Yes, with modifications.
	(*ii*) One of the fifteen languages listed in the Eighth Schedule of the Constitution.	
	(*iii*) English	

देश में भिखारियों की संख्या

5244. **श्री दौलत राम सारण :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार को देश में भिखारियों की संख्या के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या कितनी है ; और उन में बच्चे, पुरूष तथा महिलाओं की संख्या कितनी कितनी है ;

(ख) क्या भिक्षावृति अनुचित तथा अपमानजनक मानी जाती है और यदि हां, तो इसे समाप्त करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) भिक्षावृति पूर्णतया कब तक प्रतिबन्धित कर दी जायगी और क्या सरकार का इस बारे में कोई समयवद्ध कार्यक्रम है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) भिखारियों का कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तो भी 1971 की जनगणना के उपलब्ध किए गए आंकड़ों के अनुसार इस देश में भिखारियों, आवाराओं इत्यादि की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का अनुमान लगभग 10.11 लाख लगाया गया है । एक विवरण , जिस में राज्यवार ब्यौरा दिया गया है ,संलग्न है :

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों में भिक्षावृत्ति की समस्या के साथ भिक्षा निरोधक कानूनों द्वारा अल्पसमय में निपटाया जा रहा है, जिन में अन्य बातों के साथ सक्षम शरीर वाले भिखारियों के प्रशिक्षण के लिए संस्थागत सेवाओं की स्थापना करने की व्यवस्था की गई है ताकि आखिरकार ऐसे भिखारियों का पुनर्वास किया जा सके । जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका भिक्षावृत्ति को दूर करने पर लम्बे अर्से में प्रभाव पड़ने की सम्भावना हैं ।